कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—:— आदेश —:—

क्रमांक 01/एक—11—1/2008 कबीरधाम, दिनांक 26.08.2016

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 21(3) एवं (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विमला सिंह कपूर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) पूर्व के आदेश क्रमांक 01/एक—11—1/2008 दिनांक 23.08.2016 एवं इसी तारतम्य में जारी विविध आदेश दिनांक 16.07.2015 एवं 03.10.2015 को निरस्त करते हुए सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में संस्थापित सिविल न्यायालयों, सत्र न्यायालयों के आपराधिक प्रकरणों एवं न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के मध्य वर्ष—2016 के व्यवहार कार्य के लिये क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नांकित आदेश पारित करती हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा:—

अनु क्रमांक	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
1	2	3	4	
(1)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा), लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया	1.	सभी सत्र प्रकरण .
			2.	इस न्यायिक जिला में कार्यरत सी.जे.एम. श्री जगदीश राम, एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती श्यामवती भरावी द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत समस्त आपराधिक अपीले एवं उक्त न्यायालयों के सभी आपराधिक पुनरीक्षण.
			3.	आपराधिक प्रकरणों के संबंध में स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र.
			4.	विविध आपराधिक कार्यवाहियॉ.
			5.	सभी जमानत आवेदन पत्र.
			6.	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 12(अ) की
			7.	उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण 1955 के क्रमांक (10) जो कि अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम विशेष प्रावधान अधिनियम 1981 के क्र.18 द्वारा संशोधित बाबत् पुराने प्रकरण.
			8.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के साथ पास्को एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र.
			9.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण का निराकरण एवं जमानत आवेदन पत्र.
			10.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न 20,00,001/— रू. से अधिक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			11.	सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद ।
			12.	इस सिविल जिला में कार्यरत प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्रियों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील।
			13.	उपरोक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीले।
			14.	धारा 25 एडमिनिस्ट्रेशन आप. इवेकुईस प्रापर्टी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत अपीले ।

			15.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत अपीले ।
			16.	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न इडियन ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत अपीले ।
			17.	उपरोक्त तहसीलों से उत्पन्न धारा 17 पेमेंट आप. वेजेस एक्ट 1936 के अन्तर्गत अपीले।
			18.	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अन्तर्गत कबीरधाम (कवर्धा) जिला से उत्पन्न होने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित सभी मामले।
			19.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न प्रोबेट एवं लेटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			20.	अन्य विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			21.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न भारतीय मध्यस्थम अधिनियम (आरबीट्रेशन एक्ट) 1940 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			22.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न कार्पोरेशन एक्ट एवं छ.ग. नगर पालिका एक्ट 1961 (1961 के एक्ट क्रमांक 37) की धारा 29 के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं।
			23.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1,एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कवर्धा के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध नगर पालिका अधिनियम (1961 के क्रमांक 370) की धारा 13(5) एवं 172(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
			24.	कम्पनसेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद। उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			25.	संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न भू–अर्जन अधिनियम, 1804 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण।
			26.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न एबालियेशन आफ प्रोप्राईटरी राईट एक्ट की धारा 35 (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			27.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 20001/– रू. से अधिक मुल्यांकन के को–आपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			28.	रिलिजियश एवं चेरीटेब एंडोवमेंट ट्रस्ट एक्ट 1937 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण ।
			29.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न संरक्षण एवं प्रतिपालक (गार्जियन एवं वार्डस एक्ट) के अन्तर्गत प्रस्तत प्रकरण।
			30.	इन्सालवेंशी अपील ।
			31.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग 7 एवं 8 के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण ।
			32.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1956 की धारा 149 के अन्तर्गत अपीले।
			33.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण के लिए किये जाने वाले रू. 501/– से 1000/– रू. तक के मूल्यांकन के लघुवाद प्रकरण।
			34.	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य बेदखली) अधिनियम

				1971 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलों का विचारण जो संपूर्ण कबीरधाम जिला के तहसीलों से उत्पन्न होगे।
(2)	फास्ट ट्रेक कोर्ट ऑफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा, लोहारा, बोड़ला एवं पंडरिया तहसील	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	संपूर्ण कबीरधाम जिला तहसीलों से उत्पन्न 50,00,1/– रू. से 20,00,000/– तक के मूल्याकंन के व्यवहार वाद। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपरोक्त विवादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र। सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) से उत्पन्न भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुसांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्र। जिला न्यायाधीश द्वारा सौपे गये आवश्यक कार्यो को तथा स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना। लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र (एट्रोसिटीज से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) व्यवहार न्यायालय पण्डरिया एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कबीरधाम के न्यायालय में निराकृत प्रकरणों के आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं सिविल अपील।
(3)	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम(कवर्धा)			<u>रिक्त</u>
(4)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा एवं पण्डरिया.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा एवं पण्डरिया से उत्पन्न रू.25,001/– से रू.50,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद। उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन के प्रकरण। तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन वाद । राजस्व तहसील कवर्धा, बोड़ला एवं पण्डरिया के अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का निराकरण। तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया नगरपालिका अधि. 1961 (1961 के एक्ट क्र.37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीले। तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।

			9.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			10.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			11.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			12.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया रू.500/– तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			13.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			14.	तह.कवर्धा, बोड़ला एवं पंडरिया कंडिका 1 से 13 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।
(5)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 कबीरधाम(कवर्धा)			**रिक्त**
(6)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा)	तहसील कवर्धा, बोड़ला, स.लोहारा	1.	रू.1/– से रू.25,000/– तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद।
			2.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			3.	तहसील लोहारा से उत्पन्न भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन के प्रकरण।
			4.	तहसील लोहारा कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रू.20,000/– तक मूल्यांकन वाद ।
			5.	राजस्व तहसील लोहारा के अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अध्याय 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण।
			6.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यो का निराकरण।
			7.	तहसील लोहारा से उत्पन्न नगरपालिका अधि. 1961 (1961 के एक्ट क्र.37) की धारा 139 एवं 172 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीले।
			8.	तहसील लोहारा से उत्पन्न न्याय पंचायत एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत व्यवहार एवं आपराधिक पुनरीक्षण।
			9.	तहसील लोहारा से उत्पन्न पंचायत एक्ट की धारा 84(1) एवं 102(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिकाएं।
			10.	तहसील लोहारा से उत्पन्न धारा 146 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद।
			11.	तहसील लोहारा से उत्पन्न दिवालियापन के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
			12.	तहसील लोहारा से उत्पन्न रू.500/– तक के मूल्यांकन के लघु वादों का निराकरण।
			13.	उपरोक्त वादों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद।
			14.	तहसील लोहारा से उत्पन्न कंडिका 1 से 13 में जिन सिविल प्रकरणों को सम्मिलित न किया गया हो, उन प्रकरणों का विधि अनुसार निराकरण करना।

(7)	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, पंडरिया जिला–कबीरधाम	तह. पण्डरिया	1. 2. 3.	रू.1/– से 25,000/– रू. तक के मूल्यांकन के व्यवहार वाद । उपरोक्त व्यवहार वाद से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध वाद। जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गए आवश्यक कार्यो को एवं स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।
(8)	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, कबीरधाम (कवर्धा)		1.	जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सौंपे गए आवश्यक कार्यो को एवं स्थानांतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण करना।

26/08/2016.

(विमला सिंह कपूर)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवर्धा)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (छ.ग.)

—: विविध आदेश :—

क्रमांक क/एक—11—1/2008 कबीरधाम, दिनांक 26.08.2016

इस कार्यालय स्थापना पर कार्यरत न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में व अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य सम्पादित किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी किये गये कार्यालय के विविध आदेश क्रमांक 01/एक—11—1/2008 दिनांक 08.01.2015 को निरस्त कर निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :—

पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति में अवकाश में प्रस्थान करने पर उनके न्यायालय का आवश्यक सिविल कार्य एवं आपराधिक कार्य उनके पदनाम के समक्ष दर्शाये गये न्यायाधीशों द्वारा किया जावेगा एवं साथ ही इस आदेश के अन्त में वर्णित टीप पर भी ध्यान दिया जावेगा :—

1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में न्यायालय का आवश्यक कार्य फास्ट ट्रेक कोर्ट ऑफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त चारों की अनुपस्थित में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
2.	फास्ट ट्रेक कोर्ट ऑफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त तीनों की अनुपस्थिति में तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग—1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त चारों की अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
3.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	**रिक्त**
4.	प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग—1 कबीरधाम (कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग—1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त दोनों की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश वर्ग—2, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
5.	द्वितीय सिविल न्यायाधीश वर्ग—1 कबीरधाम (कवर्धा)	**रिक्त**

6.	तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 कबीरधाम(कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा किया जावेगा। दोनों की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।
7.	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, पण्डरिया	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम द्वारा किया जावेगा। दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा। उक्त तीनों की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, कबीरधाम (कवर्धा) द्वारा किया जावेगा।
8.	सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 कबीरधाम(कवर्धा)	पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य तृतीय सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कबीरधाम द्वारा किया जावेगा। दोनों की अनुपस्थिति में प्रथम सिविल न्यायाधीश वर्ग–1, कवर्धा द्वारा किया जावेगा।

टीप :– सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) में पदस्थ सिविल न्यायाधीश गण को निर्देशित किया जाता है कि जब कभी–भी वे अवकाश लेवें तो यह सुनिश्चित कर लें कि एक सिविल न्यायाधीश मुख्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।

26/08/2016.

(विमला सिंह कपूर)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवर्धा)

D:\sw section\Sankhayki\vived order1\Order -pp.doc

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम (कवर्धा) छ०ग०

-: आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष-2016 में संशोधन :-

क्रमांक–Q /मु०न्या०मजि०/2018 **कबीरधाम, दिनांक 23.08.18**

मैं जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(कवर्धा) पूर्व में इस हेतु जारी किये गये समस्त कार्य विभाजन संबंधी अदेशों को अतिष्ठित करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14 एवं धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला कबीरधाम (कवर्धा) एवं सत्र खण्ड कबीरधाम (कवर्धा) में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन करता हूँ जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदया के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा:–

क्र.	स्तम्भ क्र0–2	स्तम्भ क्र0–3	स्तम्भ क्र0–4
1	2	3	4
1.	जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम (कवर्धा)	आरक्षीकेन्द्र 1) कवर्धा, 2) चिल्फी, 3) भोरमदेव(चौरा), 4) पिपरिया जिसमें पुलिस चौकी दशरंगपुर भी शामिल है।	(1)स्तंभ क्र.–3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षीकेन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनिम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। (2)कबीरधाम जिला के सभी थानों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा वोट पहुँचाने से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (3)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित थानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (4)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। (5)कबीरधाम जिला के सभी थानों एवं आबकारी वृत्तों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) जिसमें 5 लीटर से अधिक शराब जप्ती से संबंधित प्रकरण का निराकरण करना।

			(6)कबीरधाम जिला से उपत्पन्न होने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, विदेश व्यापार(विकास और विनियमन) अधिनिमय 1992, कम्पनी अधिनियम 1957, धनकर अधिनियम 1957, आयकर अधिनियम 1961, सीमाशुल्क अधिनियम 1962, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम 1963, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का संज्ञान लेना एवं उनका निराकरण करना। (7)ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय है, उनका निराकरण करना। (8)ऐसे समस्त प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है या जिनके संबंध में यह विवाद हो कि वह प्रकरण कहा जाएगा का निराकरण करना। (9)कबीरधाम जिला के समस्त आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भा.दं.वि. की धारा 354, 354–क, 354–ख, 354–ग, 354–घ एवं 509 से संबंधित प्रकरणों में धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध करना। (10)आरक्षीकेन्द्र बोड़ला चौकी पोड़ी सहित, सहसपुर लोहारा, तरेगांव जंगल, रेंगाखार के 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन लेखबद्ध करना। (11)माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर, एवं माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम द्वारा सौपे गये समस्त कार्यो एवं मामलों का निराकरण करना।
2.	श्रीमती श्यामवती मरावी, ज्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम (कवर्धा)	आरक्षीकेन्द्र 1) बोड़ला (जिसमें पुलिस चौकी पोड़ी भी शामिल है), 2) सहसपुर लोहारा, 3) तरेगांव जंगल 4) रेंगाखार	(1)स्तंभ क्र.–3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना, जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनिम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है।

			(2)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (3)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। (4)कबीरधाम जिला तहसील पंडरिया को छोडकर के समस्त आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न भा.दं.वि. की धारा 354, 354–क, 354–ख, 354–ग, 354–घ एवं 509 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (5)कबीरधाम जिला के समस्त आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकार से भा.दं.वि. की धारा 376, 376–क, 376–ख, 376–ग, 376–घ, 376–ड. से संबंधित प्रकरणों में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करना। (6)कबीरधाम जिला के क्षेत्राधिकार तहसील पण्डरिया को छोडकर से उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। (7)कबीरधाम जिला के क्षेत्राधिकार तहसील पण्डरिया को छोडकर से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। (8)आरक्षीकेन्द्र कवर्धा, चिल्फी, भोरमदेव (चौरा) एवं पिपरिया चौकी दशरंगपुर सहित, पंडरिया, पांडातराई, कुकदुर, कुंडा चौकी दामापुर सहित के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न प्रकरणों में धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध करना। (9)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित आरक्षीकेन्द्रों के क्षेत्राधिकार में माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम की पूर्वानुमति से चलित न्यायालय लगाना। (10)माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम द्वारा सौपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।
3.	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (कवर्धा)	आरक्षी केन्द्र 1)पण्डरिया, 2)पाण्डातराई, 3)कुकदुर, 4)कुण्डा जिसमें पुलिस चौकी दामापुर भी शामिल है।	(1)स्तंभ क्र.–3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना जिनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रशाधन अधिनियम 1954, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चलचित्र अधिनियम 1944, नापतौल अधिनिम, दुकान स्थापना अधिनियम

			1958, खान अधिनियम 1952, छ.ग. आबकारी अधिनियम 2002, कारखाना अधिनियम 1947, संविदा एवं श्रमिक अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है। (2)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला खात्मा एवं खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (3)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होने वाले परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। (4)स्तम्भ क्र.–3 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार में माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम की पूर्वानुमति से चलित न्यायालय लगाना। (5)कबीरधाम जिला के तहसील पण्डरिया से उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। (6)कबीरधाम जिला के तहसील पण्डरिया से उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना। (7)माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम द्वारा सौपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।
4.	सुश्री अनिता कोसिमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला-कबीरधाम (कवर्धा)		माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम द्वारा सौपे गये समस्त कार्यों एवं मामलों का निराकरण करना।

-: आवश्यक टीप :-

01. तालिका स्तंभ क्र.–1 में दर्शित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी भी कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने हेतु नीचे दिये जा रहे तालिका के स्तंभ क्र.–2 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया जाता है।

02. टीप क्र.–1 के अनुसार की नीचे दिये जा रहे तालिका अनुसार अगर उपरोक्त किसी कारण से तालिका क्र.–1, 2, 3 के वर्णित मजिस्ट्रेट के एकसाथ अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसी तालिका के स्तंभ क्र.–3 के बाद नीचे उसी तालिका के स्तंभ क्र.–1 तथा उसी अनुक्रम में क्रमशः स्तंभ क्र.–3 के बाद नीचे उसी तालिका के स्तंभ क्र.–1 तथा उसी अनुक्रम में क्रमशः स्तंभ क्र.–2 तथा आगे वर्णित मजिस्ट्रेट को उक्त अनुपस्थित रहने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य के निर्वाहन हेतु अधिकृत किया जाता है।

03. धारा –195 दं.प्र.सं. के तहत लिखित परिवाद नीचे दिये गये तालिका के स्तंभ क्र.–1 में उल्लेखित न्यायालय से संबंधित होने की स्थिति में उसी तालिका के स्तंभ क्र.–2 मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिये जायेंगे।

04. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

05. जिला कबीरधाम मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य स्थानों में पदस्थ संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से वेष्ठित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकारिता रखने वाले क्षेत्र में माह में एक बार माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम को सूचित करते हुये जो दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना किया जायेगा चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

06. नीचे लिखी तालिका के अनुसार स्तंभ क्र.–1 के मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे, जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखे कि दं.प्र.सं. की धारा–468(2) के उपबंधों की अवहेलना न हों।

07. अन्य प्रकार की शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।

08. अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।

तालिका निम्नानुसार है:-

न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम			
क्र.	**स्तम्भ क्र0–1**	**स्तम्भ क्र0–2**	**स्तम्भ क्र0–3**
1	श्री जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम	श्रीमती श्यामवती मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम।	सुश्री अनिता कोसिमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कबीरधाम
2	श्रीमती श्यामवती मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	श्री जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम	सुश्री अनिता कोसिमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कबीरधाम
3	सुश्री अनिता कोसिमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कबीरधाम	श्रीमती श्यामवती मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	श्री जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम
4	श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया, जिला कबीरधाम	श्रीमती श्यामवती मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	श्री जगदीश राम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम

यह कार्य विभाजन आदेश अनुमोदन पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अनुमोदित

दिनांक–23/08/2016

26/08/2016.
District & Session Judge
Kabirdham (Kawardha)

23/8/16
{ जगदीश राम }
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कबीरधाम(कवर्धा) छ0ग0

प्रतिलिपि :-

1/माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया कबीरधाम (कवर्धा) को सादर सूचनार्थ।

2/माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) महोदया कबीरधाम (कवर्धा) को सादर सूचनार्थ।

3/श्रीमती श्यामवती मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम (कवर्धा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4/श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पण्डरिया, जिला कबीरधाम (कवर्धा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5/सुश्री अनिता कोसिमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला कबीरधाम (कवर्धा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/पुलिस अधीक्षक कबीरधाम (कवर्धा) को समस्त आरक्षी केन्द्र को इस संबंध में सूचना प्रेषित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

7/श्रीमान अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ कबीरधाम (कवर्धा) को सूचनार्थ।

8/जिला लोक अभियोजन अधिकारी को सूचनार्थ।

दिनांक – 23/08/2016
स्थान – कबीरधाम(कवर्धा)

{ जगदीश राम}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कबीरधाम(कवर्धा)छ0ग0